बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (प0 चम्पारण) 02–106/2026– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण के पत्रांक–80, दिनांक–13.04.2026 द्वारा श्रीमती नर्मदा श्रीवास्वत, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बगहा–1, पश्चिम चम्पारण के विरुद्ध दाखिल–खारिज वाद संख्या–1005/2024–25 में ऑनलाइन आपति दायर करने के बावजूद भी दाखिल खारिज करने, दाखिल–खारिज वाद संख्या–1227/2025–26 एवं 741/2025–26 को 06(छः) माह से अधिक अवधि तक लंबित रखने, BLDR वाद संख्या–39/23–24 एवं वाद संख्या–95/2023–24 में पारित अंतिम आदेश का अनुपालन नहीं करने, अतिक्रमित भूमि पर चल रही जमाबंदी रद्दीकरण का त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव भेजने, सरकारी भूमि पर जमाबन्दी सृजित करने, जमाबंदी संख्या–6451 खाता–351 खेसरा–294 के परिमार्जन आवेदन को उसे बकास्त खाते का होना बताकर उसे अस्वीकृत करने परन्तु दुसरी बकास्त भूमि का परिमार्जन स्वीकृत करने, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० वाद संख्या–17757/24 में दिनांक–25.11.2024 का अनुपालन नहीं करते हुए अतिक्रमण नहीं हटाने, बंदोबस्त भूमि खाता–346 खेसरा–14/129 रकवा–7 डी0 उसकी जमाबंदी संख्या–2883 का भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र का आवेदन अस्वीकृत करने एवं जनवरी 2025 में अंचल परिसर में बगहा–1 से शीशम के दो मोटे पेड़ो को कटवाकर अवैध तरीके से मात्र 4000 रूपये में नीलाम करते हुए सरकारी राजस्व की क्षति करने जैसे गंभीर आरोप प्रतिवेदित है।

2. प्राप्त आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–925(15), दिनांक–30.06.2026 द्वारा श्रीमती श्रीवास्तव से बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती श्रीवास्तव द्वारा अंचल कार्यालय, पिपराही, शिवहर के पत्रांक–1555 दिनांक–18.07.2026 से बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्रीमती श्रीवास्तव से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती नर्मदा श्रीवास्तव के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पश्चिम चम्पारण** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बगहा** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्रीमती श्रीवास्तव से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण/अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पश्चिम चम्पारण/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बगहा/श्रीमती नर्मदा श्रीवास्तव, अंचल अधिकारी, पिपराही, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—15/आरोप (प0 चम्पारण) 02—106/2026—.....(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—.....

स्पीड पोस्ट
ई मेल

प्रतिलिपिः— समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण एवं शिवहर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बगहा/ श्रीमती नर्मदा श्रीवास्तव, अंचल अधिकारी, पिपराही, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—
(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—15/आरोप (प0 चम्पारण) 02—106/2026—.....(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—.....

स्पीड—पोस्ट

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पश्चिम चम्पारण को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए संसमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0— आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/—
(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—15/आरोप (प0 चम्पारण) 02—106/2026—1854 (15)/रा0, पटना—15, दिनांक—09/10/26

प्रतिलिपिः— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा—3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/10/26
(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।